उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः 28 / सं0नि0उ0 / छः–41 / 2025–26 दिनांक 17 अप्रैल, 2025

ई–निविदा सूचना

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, बैठकों, पर्वों में प्रतिभाग करने एवं विभागीय आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहन (किराये के वाहन) की आपूर्ति हेतु इससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून की इच्छुक, अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं उत्तराखण्ड जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत फर्मों से ई–निविदाएं https://uktenders.gov.in पर पर आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नवत है–

S.No.	Particular	Date
1.	Date of availability of Tender Documents on website for download	17 April 2025
2.	Bid submission start date	17 April 2025 06:00 PM
3.	Tender document is also available at	https://uktenders.gov.in 17 April 2025 06:00 PM
4.	Last Date of Bid submission	01 May 2025 05:00 PM
5.	Date of Opening of Technical Bid	02 May 2025 12:00 PM
6.	Date of Opening of Financial Bid will be intimated separately	-
7.	Venue for all tender related work	Directorate of Culture, M.D.D.A. Colony Chander Road, Dalanwala, Dehradun
8.	Tender Document Cost	Rs. 4000.00 + GST 18%

Note :- If any date mentioned above is declared as Holiday, that date will be shifted to next working day without any change in other parameters such as venue, etc.

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

17/4/2025
निदेशक
संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः /सं0नि0उ0/छः–41/2025–26 दिनांक अप्रैल, 2025

ई–निविदा सूचना

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, बैठकों, पर्वों में प्रतिभाग करने एवं विभागीय आवश्यकतानुसार टैक्सी वाहन (किराये के वाहन) की आपूर्ति हेतु इससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए देहरादून की इच्छुक, अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं उत्तराखण्ड जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत फर्मों से ई–निविदाएं **https://uktenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है।

(क) तकनीकी शर्तेः–

1. निविदादाता फर्म के पास कम से कम 10 छोटे वाहन उपलब्ध होने आवश्यक हैं, जिसकी आर.सी. निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा करार के दौरान कोई भी वाहन 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुराने वाहन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।
3. आपूर्तिकर्ता फर्म को विभागीय आवश्यकतानुसार वाहन चालक सहित वाहन उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे।
4. फर्म को उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय परिवहन/उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड/श्रम विभाग उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसकी प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म/ट्रैवल एजेंसी 2020 से पूर्व श्रम विभाग, उत्तराखण्ड तथा जीएसटी विभाग में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म का केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कम से कम 03 वर्ष क्रमशः 2021–22, 2022–23 व 2023–24 का कार्य अनुभव होना आवश्यक है, पुष्टि के लिए संबंधित प्रतिष्ठान से प्राप्त संतोषजनक कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. फर्म को वित्तीय वर्ष क्रमशः 2021–22, 2022–23 व 2023–24 के आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म का जी0एस0टी0, पैनकार्ड का पंजीकरण नम्बर होना अनिवार्य है, पुष्टि हेतु प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. फर्म का टर्नओवर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 व 2023–24 में टैक्सी सेवाओं के कार्य के लिए प्रतिवर्ष ₹50.00 लाख (टर्न ओवर टैक्सी सेवाओं के कार्य से संबंधित) होना आवश्यक है। पुष्टि हेतु सी0ए0 का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस पर सी0ए0 का UDIN नम्बर मुद्रित होना आवश्यक होगा।
10. आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट न होने के संबंध में संलग्न प्रारूप में ₹100 के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र छः माह से पूर्व का नहीं होना चाहिए। शपथ पत्र की मूलप्रति निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
11. आपूर्तिकर्ता फर्म को अर्नेस्ट मनी के रूप में ₹50,000/–(₹पचास हजार मात्र) की एफ.डी.आर./एन.एस.सी/बैंक ड्राफ्ट निदेशक, संस्कृति निदेशालय, देहरादून के नाम निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिसकी मूलप्रति निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
12. फर्म को ई–निविदा का निर्धारित शुल्क ₹4000 + 18% GST का बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, संस्कृति निदेशालय, देहरादून, के नाम देय होगा निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
13. फर्म का कार्यालय देहरादून में स्थित होना अनिवार्य है, यदि स्वयं के घर में कार्यालय है तो ₹100 के स्टैम्प पेपर में शपथ पत्र (नोटरीकृत) अथवा कार्यालय किराये पर हो तो उसके लिए किरायानामा निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ख) वित्तीय शर्तें:–

1. निविदादाता फर्म को कार्य की दरें वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र–बी.ओ.क्यू. फाइल पर निर्धारित कालमों के सामने तालिका के अनुसार अपनी दरें अंकित करनी होगी। जिस फर्म द्वारा निर्धारित बी.ओ.क्यू. फाइल पर दरें अंकित नहीं की जायेंगी, उनकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. वाहन की सेवाऐं मासिक तथा दैनिक के आधार पर ली जायेगी।
3. अंतिम रूप से चयनित फर्म को विभागीय निविदा में प्राप्त एल–1 दरों पर एक से अधिक फर्मों को इस कार्य के लिए आबद्ध किये जाने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा (निविदा में प्रतिभाग करने वाली फर्मों)
4. जिस फर्म की दरें, अधिकतम मदो में न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी उस फर्म को अन्य मदों (जिनमें वह एल–1 नहीं है) के एल–1 कोटेशन/बिड के मूल्य पर परकामण (Negotiations) करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। यदि वह इसे अस्वीकार करता है तो दूसरे तथा उसके अस्वीकार करने पर तीसरे सर्वाधिक मदों में एल–1 फर्म को परकामण (Negotiations) हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
5. फर्म को नियमानुसार जी0एस0टी देय होगा।

अन्य शर्तें:–

1. फर्म को ई–टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव **https://uktenders.gov.in** पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।
2. फर्म को वाहन प्रदूषण मापदण्डों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
3. फर्म को श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करना होगा और श्रम विभाग आदि से जुड़े दायित्वों का निर्वहन करना फर्म की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
4. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो विभाग आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
5. सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज, प्रतीक्षा चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर (Tax) आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
7. आपूतिकर्ता फर्म द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक, पी0एफ0, ई0एस0आई0, मोटर यान अधिनियम में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (जहां लागू हों)।
8. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे जमानत के रूप में ₹5,00,000/–(₹पांच लाख मात्र) का एफ.डी.आर. /एन.एस.सी./बैंक ड्राफ्ट निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम से अगामी निविदा की दरें स्वीकृत होने तक विभाग के पास बन्धक के रूप में रखना अनिवार्य होगा।
9. विभाग द्वारा टैक्सी की मांग किये जाने पर विभागीय आवश्यकतानुसार तत्काल टैक्सी उपलब्ध करानी होगी।
10. बीजक प्राप्त होने पर नियमानुसार आयकर की कटौती करने के उपरान्त ही विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार करने अथवा निविदा को निरस्त करने का अधिकार महानिदेशक, संस्कृति में निहित होगा।
12. फर्म के वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा और वाहन चालक को यूनिफार्म में होना अनिवार्य होगा।
13. संतोषजनक सेवा न होने पर अथवा निविदा के किसी भी शर्त का उल्लंघन फर्म द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम बार उल्लंघन पर बीजक से 10% दूसरी बार उल्लंघन पर 25% कटौती कर भुगतान किया जायेगा एवं तीसरी बार उल्लंघन पर कारण दर्शाते हुए 07 दिन के अन्दर नोटिस देकर फर्म की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
14. वित्तीय निविदा/प्रस्ताव केवल उसी फर्म के खोले जायेंगे जो विभागीय निविदा की सभी तकनीकी शर्तें पूर्ण करती हो।
15. विभाग द्वारा बजट की उपलब्धता पर ही किराये के वाहनों से संबंधित बीजकों का भुगतान किया जायेगा।
16. वाहन चालक का मानदेय, वाहन का रख–रखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, तो सम्बन्धित एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। चालक का कार्य व व्यवहार शिष्ट

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

होना चाहिए। ड्राईविंग करते समय धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा खाने तथा मोबाइल प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। वाहन चालक को समय से भुगतान करने आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं फर्म/एजेन्सी की होगी।

17. सामान्यतः वाहन की कार्य करने की अवधि विभागीय आवश्यकतानुसार निर्धारित होगी। उक्त समय सीमा का निर्धारण विभागीय स्तर से किया जायेगा जो सफल निविदादाता फर्म/एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा। कार व टैक्सी का चालक किसी भी अधिकारी/कार्मिक से यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नही करेगा।

18. अनुबन्धित होने वाली फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहनों के साथ वाहन से सम्बन्धित सभी वैधानिक कागजात/अभिलेख वाहन में रखने अनिवार्य होंगे।

19. विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले वाहनों में फस्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी।

20. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

क्र0	वाहन का विवरण	मासिक किराया ईंधन एवं चालक सहित (लोकल हेतु)	उत्तराखण्ड राज्य में		उत्तराखण्ड राज्य से बाहर		वाहन 08:00 घण्टे प्रयोग में होने के पश्चात हाल्ट प्रति घण्टा दर
			ए0सी0 प्रतिदिन प्रति किमी0 दरें	नॉन ए0सी0 प्रति किमी0 दरें	ए0सी0 प्रति किमी0 दरें	नॉन ए0सी0 प्रति किमी0 दरें	
1	स्विफ्ट डिजायर						
2	इनोवा						
3	इनोवा क्रिस्टा						
4	अर्टिगा						
5	बोलेरो						
6	टाटा टिगोर						
7	फॉर्च्यूनर						
8	स्कारपियो						
9	होंडा सिटी						
10	होंडा अमेज						
11	टैम्पो ट्रेवलर 12 सीटर						
12	टैम्पो ट्रेवलर 18 सीटर						
13	बस 27 सीटर						
14	बस 42 सीटर						
15	ट्रक 407 (सामान ढुलान हेतु)						

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र

(शपथ पत्र का प्रारूप)

मैं ....पुत्र श्री .... निवासी ....शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूं कि:–

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ता .... में .... के पद पर कार्यरत है।
3. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा जमा किये गये सभी दस्तावेज सत्य हैं।
4. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है।
5. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं।
6. कोई भी प्रमाण–पत्र असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्व विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)
पदनाम
पता